व्यक्तिगत–घ्यानार्थ
अतिआवश्यक / समयबद्व
फैक्स / स्पीड पोस्ट

सख्यां :शिक्षा–एच(10)एफ(4)11 / 2009
शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ।
दिनांक शिमला–171001 18,अगस्त , 2011

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश शिमला–1

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय / सहायता प्राप्त / सम्बद्व महाविद्यालय हि0प्र0 ।
2. प्राचार्य,समस्त संस्कृत महाविद्यालय हि0 प्र0।
3. समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर) हि0 प्र0।

विषय :– **केन्द्रीय प्रायोजित मैट्रिकोत्तर अनुसूचित जाति / जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृति योजनाओं में निर्वाह भत्तें और आय सीमा के सन्शोधन बारे :–**

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय के पत्र सख्यां 11017 / 01 / 2008–एस.सी.डी.–वी दिनाकं 31–12–10 , प्रधान सचिव शिक्षा हि0 प्र0 सरकार के पत्र सख्या शिक्षा–11–गा (7)–1 / 2008–लूज दिनाकं 13–07–2011 तथा भारत सरकार जन जातीय मन्त्रालय के पत्र सख्या –19012 / 05 / 2010–शिक्षा दिनांक 21–06–2011 व आयुक्त जन जातिय विभाग हि0 प्र0 के पत्र सख्यां टी.बी.डी.(टी.बी. एम.)8–1 / 2007 दिनांक 30.06.2011 व भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय के पत्र सख्यां 11014 / 1 / 2011–बी.सी.–1 दिनाकं 12–05–11, तथा प्रघान सचिव शिक्षा हि0 प्र0 सरकार के पत्र सख्या शिक्षा–11–गा (10)–1 / 2008 दिनाकं 23–06–2011 के अन्तगर्त मुझे यह कहने के आदेश हुऐ है कि केन्द्रीय प्रायोजित अनुसूचित जाति / जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजनाओं के तहत जो निम्नलिखित सन्शोधन किये गये है को तुरन्त लागु किया जाये । **भारत सरकार द्वारा मैट्रिकोत्तर अनुसूचित जाति / जन जाति छात्रवृति योजनाओं के तहत पात्रता हेतू छात्रों के माता पिता / अभिभवकों की वार्षिक आय सीमा को संशोधित कर दो लाख तथा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृति योजना के तहत आय सीमा को संशोधित कर एक लाख किया गया है यह सन्शोधन अनुसूचित जाति / जन जाति छात्रवृति योजना में 01.07.2010 से तथा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृति योजना में 01.10.2010 से लागु होगा।**

संशोधित दरें निर्वाह भत्ता दर (माह –वार रुपये)					
	अनु0जाति / जन जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		
समूह	होस्टल वासी	दिवा छात्र	होस्टल वासी	दिवा छात्र	कक्षा / ग्रेड
क	1200	550	750	350	**Group I** (i) Degree and P.G Level Courses (Including M.Phil, Ph.D and Doctoral rescarch) in Medicines (Allopathic, Indian and other recognized system of medicines) , Engineering , Technology, Agriculture, Veterinatry and Allied Sciences, Management, Business Finace, Business Administration and Computer Applications.

					(ii) Commercial Pilot Licence (Including helicopter Pilot and Multi Engine rating) course. (iii) Post Graduate Diploma courses in various branches of multiengine rating) course. (iv) CA./ICWA/CS/I.C.F.A ect. (v) M.Phil, Ph.D and Post Doctoral Programmes(D.Litt, D.Sc.ect) a) In existing Group II courses b) In existing Group III courses (vi) L.L.M
ख	820	530	510	325	**Group II** (i) Graduate/Post Graduate courses leading to Degree,Diploma,certificate in areas like Pharmacy (B Pharma) Nurising (B Nursing), LLB,BFS,others para-medical branches like rehabilitation,diagnostics ect. Mass Communication Hotel Management & Catering, Travel/ tourism / Hospitality Managament, Interior Decoration, Nutrition & Dietetics, Commercial Arts, Finacial Services (e.g. Banking, Insurance, Taxation etc.) for which entrance qualification is minimum Sr. Secondary (10+2). (ii) Post Graduate courses not covered under Group-1 e.g.MA/M.Sc./M.Ed/M.Pharma etc.
ग	570	300	400	210	**Group-III** All other courses Leading to a graduate or above Degree not covered in Group I&IIe.g. BA/BSc/B.com Etc.
घ	380	230	260	160	**Group –IV** All post-matriculation level non-degree courses for which entrance qualification is High School (Class X),e.g. senior secondary certificates (class XI and XII,both general and vocational stream,ITI courses,three years diploma courses in Polytechnics,etc.

अतः सभी उप शिक्षा निदेशकों को आदेश दिये जाते है कि वह आपने अधीनस्त सभी रा0 व0 मा0 पाठशालाओं को उक्त दरों बारे तुरन्त सूचित करे तथा अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित पात्र छात्र/छात्राओं के बकाया बजट की मागं निम्न र्निधारित प्रपत्र पर उक्त संशोधिन अनुसार **15 दिन के भीतर** इस निदेशालय को विशेष सन्देश वाहक (छात्रवृति सहायक) द्वारा सॉप्ट और हॉड कापी में भिजवाना सुनिश्चित करें ।प्रचार्य महाविद्यालयों को निर्देश दिये जाते है कि वह भी आपने अधीनस्त अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित पात्र छात्र/छात्राओं के बकाया बजट की मागं निम्न र्निधारित प्रपत्र पर उक्त संशोधिन **अनुसार 15 दिन के भीतर इस निदेशालय को** विशेष सन्देश वाहक द्वारा सॉप्ट और हॉड कापी में भिजवना सुनिश्चित करें । उपरोक्त योजनाओं के तहत महाविद्यालयों/स्कूलों द्वारा बार–बार दिये गये दिशनिर्देशों के उपरान्त भी एक समान रुप से बजट मागं नही की जा रही जिस के कारण लेखा परीक्षा के दौरान अधीक पैरों को बनने की सम्भावना बनी रहती है जिस पर **विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी महाविद्यालयों और स्कूलों से बजट मांग एक समान ही होनी चाहिऐ जिस के लिये निम्न प्रकार से ही महाविद्यालयों/स्कूलो द्वारा बजट मांग की जाये** यदि बजट मांग में कोई अनियमितांए पाई जाती है तो उस का पूर्ण दायित्व सस्थांन के अध्यक्ष का होगा ।

योजनाओं के अर्न्तगत निम्नलिखित शुल्क की ही अदायगी की जायेगी :–

महाविद्यालय स्तर पर :– **Adm. Fee, University Fee, (i.e Registration/Continuation fee), Sports fee, Tuition Fee, University Exam.Fee, Youth welfare Fee and Holiday Home Fee.**

स्कूल स्तर पर :– **Adm. Fee, Tuition Fee, Board Exam.Fee.**

नोट :– महाविद्यालय/स्कूलों के स्तर पर जो राशि छात्र/छात्राओं से निधि(**Fund**) के रुप में ली जाती है उस राशि को योजना के तहत प्रतिपूर्ती की राशि में न जोड़ा जाये।

यदि उक्त समय के भीतर आप के कार्यालय द्वारा बजट की मांग निदेशालय को प्राप्त नही होती है तो बजट मागं शुन्य समझी जायेगी जिस के कारण यदि कोई छात्र/छात्रा छात्रवृति से वचिंत रहता/रहती है तो उस का पूर्णत्या दायित्व सस्थानं के प्रमुख का होगा।

यह आदेश उक्त योजनाओं के तहत पिछले सभी आदेशों के अतिक्रमण में जारी किये जा रहे है ।

प्रपत्र सन्शोधित राशि हेतू

क्र0 स0	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	बैक खाता सख्यां	बैक का नाम	**IFSC code of Bank must be shown in 11 digits.**	कक्षा	छात्र /छात्रा (प्रपत्र के अन्त में कुल योग भी दें)	निर्वाह भत्ता की राशि जो प्राप्त कर ली है	निर्वाह भत्ता की राशि जो देय है

प्रपत्र वर्ष 2011–12 हेतू

क्र0 स0	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	कक्षा	छात्र /छात्रा (प्रपत्र के अन्त में कुल योग भी दें)	कुल निर्वाह भत्ता	कुल शुल्क	कुल प्रतिपूर्ती राशि	बैक खाता सख्यां	बैक का नाम	**IFSC code of Bank must be shown in 11 digits.**

इस अति आवश्यक समझे ।

नोट :– यह सूचना विभाग की वैवसाईट www.educationhp.org पर भी उपलब्ध है।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।